भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 761

दिनांक 04.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

तमिलनाडु में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों को राजसहायता

761. श्री नवसकनी के.:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु में कार्यशील सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों को अब तक वर्ष-वार कुल कितनी राजसहायता प्रदान की गई है;

(ख) राज्य में एमएसएमई इकाइयों को जिन विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राजसहायता प्रदान की गई है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) तमिलनाडु में वर्तमान में एमएसएमई इकाइयों को कितने राजसहायता आवेदन अनुमोदन के लिए लंबित पड़े हुए हैं और उनके लंबित रहने का क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) एवं (ख): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है, जिनके अंतर्गत तमिलनाडु राज्य सहित पूरे देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को राजसहायता प्रदान की जाती है।

पीएमईजीपी, गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने और मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने में भावी उद्यमियों को सहायता प्रदान करने हेतु एक स्कीम है। पीएमईजीपी के अंतर्गत, लाभार्थी विभिन्न भौगोलिक और जनसांख्यिकीय मानदंडों के आधार पर 15% से 35% तक मार्जिन मनी (एमएम) राजसहायता का लाभ उठा सकते हैं।

एनएसएसएच के विशेष ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी स्कीम (एससीएलसीएसएस) घटक के अंतर्गत, पात्र एससी/एसटी स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को संस्थागत वित्त के माध्यम से संयंत्र और मशीनरी या उपकरण की खरीद के लिए 25% पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो 25 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन है।

तमिलनाडु राज्य में विगत पांच वर्षों के लिए पीएमईजीपी और एनएसएसएच के अंतर्गत संवितरित राजसहायता की राशि का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग): वर्तमान में, पीएमईजीपी के अंतर्गत बैंकों द्वारा 10,587 स्वीकृत आवेदन नोडल कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापन और अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन हैं।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 04.12.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 761 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

I. विगत पांच वर्षों के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत संवितरित मार्जिन मनी राजसहायता

वित्तीय वर्ष	संवितरित मार्जिन मनी राजसहायता (करोड़ रु. में)
2020 - 21	137.70
2021 - 22	163.60
2022 - 23	178.93
2023 - 24	198.73
2024 - 25	121.16
कुल	**800.12**

II. विगत पांच वर्षों के लिए एनएसएसएच के एससीएलसीएसएस घटक के अंतर्गत संवितरित राजसहायता

वित्तीय वर्ष	राजसहायता राशि (लाख रु. में)
2020 - 21	39.44
2021 - 22	16.25
2022 - 23	368.24
2023 - 24	33.75
2024 - 25	7.75
समग्र योग	**465.43**